

न्यायालय- कु० अंकिता देवदास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्ती,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

दां.प्र.क्र. 763/2022

शा. वि. रामानंद टंडन

//आदेश//

06-05-2026

राज्य द्वारा एडीपीओ उप. ।

प्रकरण अभियुक्त का फौती प्रतिवेदन हेतु नियत है ।

आरोपी **रामानंद टंडन** फौत ।

अभियुक्त को जारी फौती प्रतिवेदन मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पेश किया गया है ।

थाना प्रभारी **सक्ती** द्वारा सत्यापित उक्त प्रमाणित प्रति के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी **रामानंद टंडन** पिता स्व० हरिराम टंडन उम्र 65 वर्ष साकिन सक्ती वार्ड क्र० 01, थाना सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की दिनांक 19/04/2026 की मृत्यु हो गयी है।

अतः आरोपी को थाना सक्ती के अपराध क्र. 27/2022 अंतर्गत धारा 294, 506, 323 भा०दं०सं० के प्रकरण को आरोपी के विरुद्ध उपशमित किया जाता है ।

प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति डंडा होने से विधिवत नष्ट किया जावे।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, प्रकरण सुव्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

सही/-

कु० अंकिता देवदास
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्ती,
जिला जांजगीर चांपा छ.ग.